(c) the action Government propose to take in the matter in the context of the above findings of experts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) Blue Asbestos is neither produced nor imported in India as it is only available in South Africa. Asbestos Information Centre, New Delhi informed that use of Blue Asbestos has been prohibited by ILO and WHO. The import of Asbestos is canalised through MMTC.

(b) Since Blue Asbestos is not being imported or produced it was not considered necessary for banning.

(c) However, in consultation with DGTD it is proposed to bring Blue Asbestos i.e. Crocidilite under Annexure 2-A in Import & Export Policy 1990—93.

नई औद्योगिक नीति में परिवर्तन

2158. **कुमारी लईदा खातून** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में नई औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए उद्योगपतियों, श्रमिक नेताओं, सांसदों, विधायकों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के सुझाव आमंत्रित किए हैं या आमंत्रित करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या संगठित श्रमिक वर्ग ने इस नीति का विरोध किया है, यदि हां, तो इसके द्वारा क्या-क्या कारण बताए गए हैं ; और

(ग) इस औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) लाइसेंसीकरण नीति को उदार बनाना और कार्य-विधियों को सरल और कारगर बनाना एक सतत प्रक्रिया है सांसदों, विधायकों, उद्योगपतियों, श्रमिक नेताओं और अन्य व्यक्तियों के सुझावों का हमेशा स्वागत है ।

(ख) कुछ ट्रेड यूनियन के संगठनों में 29 नवम्बर, 1991 को औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया था जिनकी मांग थी कि ट्रेड यूनियनों से परामर्श करके सरकार आर्थिक और औद्योगिक नीतियों को फिर से तैयार करे ताकि सरकारी एककों इत्यादि निजीकरण को रोकने के उपाय किए जा सकें । सरकार ने एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है जो श्रमिकों और अन्य सम्बद्ध मामलों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव पर विचार करेगी और उपयुक्त सिफारिशें देगी ।

(ग) नई औद्योगिक नीति की घोषणा होने के पश्चात् 31-10-1991 तक 250 से अधिक विदेशी सहयोग प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है इनमें से 60 से अधिक प्रस्तावों में लगभग 170 करोड रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परिकल्पना की गई है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार की शिकायतें

2159. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक औद्योगिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार, नियुक्तियों, पदोन्नतियों और गबन से संबंधित अनेक शिकायतें बिना जांच किए लम्बित पड़ी हैं ; यदि हां, तो मार्च, 1991 तक ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन शिकायतों में से कितनी-कितनी शिकायतें गबन, भ्रष्टाचार, पदोन्नतियों और नियुक्तियों से संबंधित हैं तथा वे कितने-कितने समय से लंबित हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम ने आचरण, अनुशासन एवं अपील संबंधी अपने नियम बना रखे हैं तथा अपना आन्तरिक सतर्कता एकक भी स्थापित कर रखा है । सरकारी क्षेत्र के सम्बद्ध उपक्रम का प्रबन्धन, यदि आवश्यक हो तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसे अभिकरणों के परामर्श से, भ्रष्टाचार, नियुक्तियों, पदोन्नति तथा सेवन आदि से संबंधित शिकायतों की जांच करता है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन निदेशक मंडल स्तर से नीचे के अपने कर्मचारियों से संबंधित ऐसी शिकायतों के संबंध में निर्णय करने हेतु पूर्णरूपेण सक्षम है । निदेशक मण्डल स्तर के अधिकारियों के मामले में, जहां राष्ट्रपति नियोक्ता अधिकारी होता है, केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से अंतिम निर्णय किया जाता है । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों मंत्रालयों तथा निजी या अन्य स्रोतों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार आदि संबंधी शिकायत प्राप्त करने पर इन शिकायतों की जांच करता है । । केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के कुल 244 उपक्रमों से संबंधित ऐसी शिकायतों के कुल आंकडे तथा प्रत्येक शिकायत संबंधी कार्रवाई की स्थिति/लंबित शिकायतों की संख्या आदि का ब्यौरा केंद्रीय सरकार में नहीं रखा जाता ।

हानि उठा रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2160. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को होने वाले कुल नुकसान का 80% नुकसान 83 उपक्रमों द्वारा ही किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इनमें से आधे उपक्रम वे हैं जिन्हें पिछले वर्षों में निजी क्षेत्र से उनमें घटित अनियमितताओं के कारण सरकार को अधिग्रहण करना पड़ा था ; यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार उनके घाटे को समाप्त करने के लिए इन उपक्रमों के प्रबंध और क्रियाकलाप में परिवर्तन करने का विचार रखती है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित कर सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपने का निर्णय किया है ताकि उनके नवीकरण/पुर्स्थापन की योजनायें बनाई जा सकें । योजना निर्माण के एक भाग के रूप में मण्डल (बोर्ड) इन उद्यमों के प्रबंधन तथा क्रियाकलापों में परिवर्तन करने का निर्णय कर सकता है ।

2161. [*Transferred to the 16th December, 1991.*]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची की कार्य-क्षमता

2162. **श्री शारदा महतो :**
श्री चिमन भाई महता :
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापित कार्यक्षमता का कितना उपयोग कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और कुछ अन्य सरकारी उपक्रम हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को कार्य आदेश